न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)
निगरानी याचिका संख्या 32/2021
निर्णय दिनांक 22.02.2022

सत्यनारायण पुत्र श्रीया लाल जाति यादव निवासी ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद, जयपुर

– प्रार्थी /निगरानीकार

बनाम

1. सरंपच ग्राम पंचायत झाग, पंचायत समिति दूदू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर
2. बुन्दू खां पुत्र लादू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।

– अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार

उपस्थित निगरानी कर्ता के अधिवक्ता हनुमान सिंहाग

गैर निगराननी कर्ता के अधिवक्ता रामजीलाल शर्मा

निर्णय

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध मिसल संख्या 41/2008 में आदेश दिनांक 21.10.2009 की अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 191 को निरस्त करवाने बाबत।

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि –

1. यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित आबादी भूमि जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 80 फीट दोनो भुजा बराबर, उत्तर से दक्षिण 13 फीट दोनो भुजा बराबर सीमायें पश्चिम दिशा में : आम रास्ता स्थित है, उक्त आबादी स्थित भूखण्ड बाडे को प्रार्थी/निगरानीकार ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2012 को तादादी 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपयों में क्रय कर उक्त भूखण्ड पर मौके पर काबिज है, एवं उक्त आबादी भूमि पर बाडा बनाकर मौके पर काबिज है। प्रार्थी/निगरानीकार ने उक्त भूमि रमेश चन्द हल्दिया पुत्र सुखदेव प्रसाद हल्दिया जाति महाजन निवासी झाग से क्रय की थी जो कि उसकी पुश्तैनी कब्जेशुदा पट्टेशुदा भूमि थी। उक्त भूमि का पट्टा विक्रेता रमेशचन्द ने ग्राम पंचायत झाग से मिसल संख्या 31/1980 को तारीख दायरी 01.09.1980 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 11.11.1980 के द्वारा ग्राम पंचायत ने 92 रूपये 80 पैसे रसीद संख्या 19 दिनांक 11.11.1980 को जमा करवाकर दिनांक 01.12.1980 को पट्टा संख्या 24 रमेश चन्द हल्दिया के नाम से जारी किया गया उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रार्थी निगरानीकर्ता को बेचान कर दिया तभी से प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज हो गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी स0 1 से मिलीभगत करके दिनांक 21.10.2009 को अपने नाम से 35X22 फीट का पट्टा ग्राम पंचायत झाग से अपने नाम से जारी करवा लिया जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी स0 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही उसकी पुश्तैनी आबादी भूमि है अप्रार्थीगण ने पूर्व से पट्टेशुदा भूमि पर बिना नोटिस आपत्ति जारी किये ही व बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये ही दुबारा पटटा जारी करने की अनियमतिता जारी किया है। एवं उक्त पटटा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत झाग द्वारा विधि विधान एवं पंचायतीराज नियमों के विपरित जाकर पूर्व से पटटेशुदा भूमि पर दुबारा पटटा जारी करने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिये प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी करना आवश्यक हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

1.यह है कि ग्राम पंचायत झाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2009 एवं उसकी अनुपालना में जारी पटटा संख्या 191 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित एवं नियमों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2.यह कि उक्त भूमि जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 21.10.2009 को पटटा जारी किया गया वह कतई नियमो के विपरित व बिना मौका रिपोर्ट व रिकार्ड की जॉच किये बिना फर्जी तरीके व बिना मौका रिपोर्ट व रिकार्ड की जॉच किये बिना फजी तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 को नाजायज फायदा पहुँचानें के लिये किया गया है। इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

3.यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का पटटस उक्त भूमि पर काबिज पुश्तैनी कब्जेशुदा भूमि होने के कारण उसके पूर्व मालिक रमेश चंद हल्दिया के द्वारा बाकायदा प्रार्थना पत्र पेश करने एवं गवाहो के बयान दर्ज कर आपत्ति नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके पश्चात रसीद संख्या 19 दिनांक 11.11.1980 को रूपये जमा कराने पर दिनांक 01.12.1980 को पटटा संख्या 24 जारी किया गया था। पटटा जारी करने के पश्चात उक्त आबादी भूमि पर रमेश चन्द हल्दिया काबिज था। रमेश चद हल्दिया ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र उक्त भूमि का बेचान दिनांक 12.01.2012 को कर दिया एंव उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी निगरानीकर्ता को सम्भला दिया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त फर्जी एवं गैर कानूनी पटटे के आधार पर प्रार्थी की आबादी भूमि हडपना चाहता है। इसलिए प्रार्थी को न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर उक्त फर्जी पटटे को निरस्त करवाना आवश्यक हुआ।

4.यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया पटटस संख्या 191 कतई नियम विरूद्व है। पटटा जारी करने से पूर्व मौका रिपोर्ट नही मगवायी गयह न ही कोई आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आपत्ति नोटिस पर ना तो किसी सरपंच के हस्ताक्षर, न ही मोहर है और न ही जारी करने की दिनांक अंकित है। इससे स्पष्ट है। कि आपत्ति नोटिस जारी किये बिना ही उक्त पटटा जारी किया है इसलिये भी पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

5.यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को तथाकथित पटटा जारी करने से पूर्व कानूनन मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई मौका रिपार्ट वार्ड पंच से नही मंगवाई गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पर किसी वार्ड पंच व गवाह के हस्ताक्षर नही है एव उक्त मौका रिपोर्ट पर दिनाक भी उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नही बनायी गयी है। इसलिये भी उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

6.यह कि ग्राम पंचायत झाग द्वारा अपने आदेश में पंचायतीराज में नियम 158 के तहत रियायती दर पर पटटा जारी करने की अनुशंसा की है। जबकि रियायती दर पर पटटा उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसकी पुश्तैनी जमीन हो या कब्जा हो या खाम मकान/पुख्ता निर्माण हो उसी व्यक्ति को रियायती दर पर पटटा जारी किया जा सकता है। यहॉ पर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की पुश्तैनी भूमि नही थी न ही उस पर काबिज था। उक्त भूमि पूर्व से ही पटटेशुदा एवं कब्जेशुदा भूमि थी। जिस पर ग्राम पंचायत झाग द्वारा पूर्व में विकय विलेख निष्पादित किया गया था एवं पटटा जारी किया गया था इसलिये भी दुबारा जारी किया गया पटटा नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7.यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2009 में भारी अनियमितता व उक्त आदेश में कांट-छांट है जिस पर किसी अधिकारी व सरपंच के लघु हस्ताक्षर नही हैं। इसलिये उक्त पटटा संख्या 191 जारी करने मे ग्राम पंचायत झाग द्वारा नियमों की कोई पालना नही की गई है। इसलिये भी उक्त निगरानीधीन आदेश काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

8.यह कि पटटा संख्या 191 दिनांक 21.10.2009 को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थी/निगरानीकार ने पंचायत समिति दूदू में अपील प्रस्तुत की थी। जिसको मेरिट पर निस्तारित नही कर विकास अधिकारी दूदू द्वारा दिनांक 11.12.2019 को एक आदेश पारित किया गया कि उक्त पटटा संख्या 191 पूर्व में जारी पटटा संख्या 24 दिनांक 11.11.1980 श्री रमेश चन्द हल्दिया पुत्र सुखदेव हल्दिया के नाम से जारी की गई भूमि पर ही जारी किया जाना पाया गया है। इसलिये ग्राम पंचायत झाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पटटा संख्या 191 दिनांक 21.10.2009 को बुन्दू खां पुत्र लादू खां के नाम से जारी पटटे की निगरानी पेश कर पटटा निरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। परन्तु ग्राम पंचायत झाग द्वारा उक्त आदेश के बाद भी पटटे की निगरानी आज दिनांक तक पेश नही करने के कारण न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी याचिका पेश करना आवश्यक हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

9. यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत झाग में उक्त विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 11.12.2019 के बाद निगरानी प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने बाद भी ग्राम पंचायत झाग द्वारा कोई निगरानी प्रस्तुत नही की गयी है। प्रार्थी को उक्त आदेश की नकले मिलने के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा निगरानी प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थी ने नकले प्राप्त कर ली परन्तु 22 मार्च 2020 को कोरोना महामारी की वजह से निगरानी नही पेश कर सका। इसलिए बिना देरी किये निगरानी पेश की है।

अतः निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत झाग की मिसल संख्या 41/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2009 एंव अनुपालना में जारी पटटा सख्या 191 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

न्यायालय द्वारा गैर निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किये गये तथा उक्त प्रकरण से सम्बधित मूल रिकार्ड तलब किया गया। गैर निगरानी कर्ता संख्या 2 बुन्दू खॉ की और से रामजीलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। तथा गैर निगरानी कर्ता संख्या 1 के और से परवीन कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा अन्डर टेकिग दी गई। परन्तु वकालत नामा पेश नही किया गया।

गैर निगरानी कर्ता को जवाब हेतु समय दिया गया। परन्तु जवाब पेश नही किया गया। निगरानी कर्ता की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हनुमान सिहाग द्वारा बहस हेतु निवेदन किया तथा अपने कथन में कहा कि काफी समय दिये जाने के बावजूद गैर निगरानीकर्ता के वकील उपस्थित नही हुऐ है। अतः बहस को सुना जावे । अत बहस को सुना गया ।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत झाग द्वारा मूल आबादी भूमि का विक्रय विलेख पटटा संख्या 191 दिनाक 16.2.2008 जो बुन्दू खॉ पुत्र लादू खॉ निवासी झाग के नाम से जारी पेश किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत झाग के द्वारा मूल पत्रावली संख्या 41/2008 को पेश नही किया गया है। तथा पंचायत समिति दूदू के पंत्राक /पसदू/पंचायत/2019–20/3207 दिनांक 11.12.2019 मे लिखा है कि जॉच कमेंटी द्वारा जॉच करवाई गई। जॉच कमेंटी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पटटा संख्या 24 दिनांक 11.11.1980 रमेशचन्द हन्दिया पुत्र सुखदेव प्रसाद हल्दिया के नाम जारी की भूमि जारी किया जाना पाया गया। अतः एक भूमि पर दुबारा पटटा जारी किया जाना नियम विरूद्व है। अतः ग्राम पंचायत झाग द्वारा जारी पटटा संख्या 191 दिनांक 16.2.2008 में ग्राम पंचायत झाग द्वारा जारी करते समय नियमों की पालना नही की गई है। अत निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी को स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत झाग की मिसल संख्या 41/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2009 एवं पटटा संख्या 191 को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (राज.)

राजेन्द्रसिंह शेखावत
अतिरित जिला कलक्टर दूदू
जिला जयपुर राज0